


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 10, 2016/फाल्गुन 20, 1937

No. 605]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 10, 2016/ PHALGUNA 20, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2016

का.आ. 702(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 68 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) के अर्थ के अंतर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं के कार्यकलाप और आवास वित्त कार्यकलाप चलाने वाली सरकारी कंपनियों के लिए पूंजी में ऋण तथा मुक्त आरक्षित का अनुपात 6 : 1 होगा।

[फा.सं. 01/04/2013-सीएल-V (पार्ट-II)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 10th March, 2016

S. O. 702(E).— In exercise of the powers conferred under the proviso to clause (d) of sub-section (2) of section 68 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (Act), the Central Government hereby notifies that the debt to capital and free reserves ratio shall be 6:1 for government companies within the meaning of clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 which carry on Non-Banking Finance Institution activities and Housing Finance activities.

[F. No. 01/04/2013-CL-V(Pt-II)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

1202 GI/2016